

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|--|
| 1— मुख्य प्रशासक, | 2— उपाध्यक्ष, |
| उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून। | विकास प्राधिकरण देहरादून / हरिद्वार। |
| 3— जिलधिकारी / उपाध्यक्ष, समस्त जिला विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड। | 4— सचिव, दूनघाटी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण देहरादून। |
| 5— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून। | |

आवास अनुभाग—२

देहरादून, दिनांक ०५ फरवरी, 2019

विषय— उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में निहित मानकों में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या—888 / V-2013-55(आ०) / 2006-टी०सी०, दिनांक 12.06.2015 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में यथा संशोधन करते हुए प्रख्यापित की गयी थी। उक्त भवन उपविधि के कतिपय प्राविधानों को समय—समय पर यथा संशोधन भी किया गया है।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य की विषम भौगोलिक पारिस्थितियों यथा भवन हेतु भूमि की सीमित उपलब्धता, भूखण्डों का न्यूनतम क्षेत्रफल, पहुंच मार्ग की चौड़ाई आदि कम होने की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम मानकों को यथावश्यक कम करते हुए आवासीय, चिकित्सीय, पर्यटन, व्यवसायिक आदि गतिविधियों का विस्तार किये जाने हेतु भवन उपविधि के मानकों को संलग्न परिशिष्ट—१ एवं तालिका—०१, ०२, ०३ के अनुसार संशोधित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3— उपरोक्तानुसार भवन उपविधि के संलग्न संशोधनों के अतिरिक्त शेष अन्य प्राविधान शासनादेश संख्या—888 / V-2013-55(आ०) / 2006-टी०सी०, दिनांक 12.06.2015 एवं तदविषयक संशोधित शासनादेशों के प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

4— उक्त संशोधित प्राविधान, संबंधित प्राधिकरणों के बोर्ड से अंगीकरण के उपरान्त ही लागू होंगे।

भवदीय,

/(नितेश कुमार झा)
सचिव

संख्या— ३१ /V-2-2019-55(आ०) /2006-टी०सी०-तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
- 3— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 4— सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5— प्रमुख निर्जी सचिव, मा० मंत्री, आवास विभाग, उत्तराखण्ड को मा० आवास मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
- 6— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायू मण्डल, पौड़ी/देहरादून।
- 7— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8— सचिव, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण/मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून।
- 9— सचिव, दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 10— सचिव, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
- 11— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव

परिशेष्ठा 1

उपविधि/ विनियम की बिन्दु संख्या		जलराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/ विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानकों मे संशोषित प्राविधान	
1	2	3	4
1. बिन्दु संख्या 2.3 (Chapter-II) परियाप्ति शासनादेश संख्या 2013/V. 2015-55	Areas, Hills (पर्वतीय क्षेत्र): राजस्व अभिलेखों के अनुसार पर्वतीय ग्राम 1. पिथोरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा पौड़ी, टिहरी तथा चम्पावत जनपदों मे समृद्ध क्षेत्र 2. देहरादून जनपद की पुरानी चक्रवात तहसील व मसूरी सब डिवीजन 3. नैनीताल जनपद की नैनीताल तहसील, कोशिया कटौली तहसील तथा धारी तहसील 4. उनकुल नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर जनपद चम्पावत का समृद्ध क्षेत्र तथा कोटद्वार नगरपालिका को छोड़कर जनपद वार्ड (नदियों की स्रोतों को छोड़कर) का समृद्ध क्षेत्र तथा समनगर नगरपालिका सीमा की उत्तरी सीमा से उत्तर की ओर समनगर तहसील का समृद्ध क्षेत्र	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/ विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानक मे संशोषित प्राविधान उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/ विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानक मे संशोषित प्राविधान अतिरिक्त बिन्दु	अधियुक्ति/ दिप्पणी
बिन्दु संख्या 2.4	Areas, Plain (मैदानी क्षेत्र): उपरोक्त वर्णित पर्वतीय क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य का अवशेष क्षेत्र।	Areas, Hills (पर्वतीय क्षेत्र) तथा Areas, Plain (मैदानी क्षेत्र) के मध्य के ऐसे क्षेत्र जो अधिकारित पर्वतीय भू-भाग की प्रकृति लिये होते हैं किन्तु ऐसे क्षेत्रों मे भवन निर्माण हेतु भवन उपविधि मे मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य "फुटहिल" क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। जिससे मू-भाग की प्रवृत्ति के विषयत अव्यवहारिक निर्माण कार्य प्रोत्साहित हो रहे हैं। अतः देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी तथा चम्पावत जनपदों के मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य के क्षेत्र को "फुटहिल" के रूप मे परियाप्ति निर्माण किया जाता है। "फुटहिल" क्षेत्रों का निर्धारण समीक्षित स्थानिय विकास प्राक्करण के बारे द्वारा किया जाता है किन्तु बोर्ड द्वारा एक बार निर्धारण किये जाने के पश्चात, दूसरी बार "फुटहिल" क्षेत्रों के निर्धारण/ संशोधन राज्य सरकार की सहमति के पश्चात किया जायेगा। (1) फुटहिल क्षेत्रों मे आविकरण भवन कोर्ड 21 मी० अनुमत्य होगी (विद्यमान मार्ग चौड़ाई के अनुसार) (2) फुटहिल क्षेत्रों मे पहुंच मार्ग की चौड़ाई भवन उपविधि मे मैदानी क्षेत्रों हेतु निर्धारित पहुंच मार्ग की चौड़ाई से 25 प्रतिशत कम होनी अर्थात मैदानी क्षेत्रों मे यदि पहुंच मार्ग की चौड़ाई 9 मी० निर्धारित हो तो वह फुटहिल क्षेत्रों मे 6.75 मी० होगी। (3) फुटहिल क्षेत्रों मे भवन उपविधि के शैक्ष प्राविधान मैदानी क्षेत्रों के समान होगे।	Areas, Hills (पर्वतीय क्षेत्र) तथा Areas, Plain (मैदानी क्षेत्र) के मध्य के ऐसे क्षेत्र जो अधिकारित पर्वतीय भू-भाग की प्रकृति लिये होते हैं किन्तु ऐसे क्षेत्रों मे भवन निर्माण हेतु भवन उपविधि मे मैदानी क्षेत्रों हेतु निर्धारित मानकों का प्रयोग किया जाता है। जिससे मू-भाग की प्रवृत्ति के विषयत अव्यवहारिक निर्माण कार्य प्रोत्साहित हो रहे हैं। अतः देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी तथा चम्पावत जनपदों के मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य के क्षेत्र को "फुटहिल" के रूप मे परियाप्ति निर्माण किया जाता है। "फुटहिल" क्षेत्रों का निर्धारण समीक्षित स्थानिय विकास प्राक्करण के बारे द्वारा किया जाता है किन्तु बोर्ड द्वारा एक बार निर्धारण किये जाने के पश्चात, दूसरी बार "फुटहिल" क्षेत्रों के निर्धारण/ संशोधन राज्य सरकार की सहमति के पश्चात किया जायेगा।

उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015)

उपविधि/विनियम की बिंदु

संख्या

निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानकों मे संशोधित प्राविधान

उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानक मे वर्तमान प्राविधान

संख्या

निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानक मे संशोधित प्राविधान

बिंदु 4.1 (Chapter-IV) Site Development Parameters for Buildings/projects other than special township का संशोधन

1

अभियुक्ति/टिप्पणी

बिंदु 4.1 मे प्राविधानित तालिका के रूप मे पर्याय व मैदानी क्षेत्रों हेतु भवनों/परियोजनाओं की विभेन्न श्रेणियों मे दर्शायी गयी पहुँच मार्ग की विद्यमान चौड़ाई/महायोजना मे निर्धारित चौड़ाई।

2

अभियुक्ति/टिप्पणी

बिंदु 4.1 मे प्राविधानित तालिका के रूप मे पर्याय व मैदानी क्षेत्रों हेतु भवनों/परियोजनाओं की विभेन्न श्रेणियों मे दर्शायी गयी पहुँच मार्ग की विद्यमान चौड़ाई/महायोजना मे निर्धारित चौड़ाई।

3

अभियुक्ति/टिप्पणी

बिंदु 4.2 का संशोधन

4

अभियुक्ति/टिप्पणी

बिंदु 4.2 मे प्राविधानित तालिका के रूप दर्शाये गये पर्याय व मैदानी क्षेत्रों हेतु भूखण्ड का चूनतम ईत्तफल।

बिंदु 4.2 मे प्राविधानित तालिका के रूप दर्शाये गये पर्याय व मैदानी क्षेत्रों हेतु भूखण्ड का चूनतम ईत्तफल के निर्धारित मानकों को सलग तालिका के अनुसार संशोधित किये जाने हैं।

—

पब्लिक / सेमी पब्लिक – शैक्षिक संस्थान (Educational)।

पब्लिक / सेमी पब्लिक – शैक्षिक संस्थान (Educational)।

पब्लिक / सेमी पब्लिक – शैक्षिक संस्थान (Educational)।

Type of Building	Plain	Hills
Nursery/Creche	750	500
Primary schools	4000	3000
Middle school	8000	6000
High school	18000	13500
Integrated school (1 st to 12 th)	30000	15000
University	100000	75000

Type of Building	Plain	Hills
Nursery/Creche	400	200
Primary schools	2000	1000
Middle school	4000	2000
High school /Intermediate	15000	6000
University	75000	20000

पब्लिक / सेमी पब्लिक – चिकित्सा (Health):-

पब्लिक / सेमी पब्लिक – चिकित्सा (Health):-

पब्लिक / सेमी पब्लिक – चिकित्सा (Health):-

Type of Building	Plain	Hills
Laboratory/Clinics	500	250
Maternity homes and child care centre/Nursing Homes/Dispensary	1000	750
Hospital upto 50 beds	4000	—
More than 50-200 beds	25000	—
City/zonal/ regional level hospital	40000	—

Type of Building	Plain	Hills
Laboratory/Clinics/Diagnostic centre	300	150
Maternity homes and child care centre/Nursing Homes/Dispensary	750	500
Hospital upto 50 beds	2000	1500
Hospital 51-100 beds	5000	4000

उपविधि / विनियम की बिन्दु संख्या 1	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानकों में संशोधित प्राविधिक भवनों / परियोजनाओं के प्रकार (Types of Buildings/Projects)	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानक में संशोधित प्राविधिक भवनों / परियोजनाओं के प्रकार (Types of Buildings/Projects) की श्रेणियों में निम्नवल श्रेणियों को जोड़ा जाना,	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानक में संशोधित प्राविधिक भवनों / परियोजनाओं के प्रकार (Types of Buildings/Projects) की श्रेणियों में निम्नवल श्रेणियों को जोड़ा जाना,	अधियुक्ति / हिपणी
2	more than 200		Hospital 101-200 beds City/zonal/regional level hospital more than 200	3
3			Hospital 101-200 beds City/zonal/regional level hospital more than 200	4
4				
1. बिन्दु संख्या 4.2 में तालिका के रूप दर्शाये गये विभिन्न भवनों / परियोजनाओं के प्रकार (Types of Buildings/Projects) की श्रेणियों में निम्नवल श्रेणियों को जोड़ा जाना,	बिन्दु संख्या 4.2 में तालिका के रूप दर्शाये गये विभिन्न भवनों / परियोजनाओं के प्रकार (Types of Buildings/Projects) की श्रेणियों में निम्नवल श्रेणियों को जोड़ा जाना,	(1) Hotels <ul style="list-style-type: none"> ● 5 stars deluxe rating hotel ● 5 stars rating hotel ● 4 stars rating hotel ● Other hotels (2) Hostel <ul style="list-style-type: none"> ● Hostel upto 50 Beds ● Hostel upto 50-100 Beds 	(1) मसूरी क्षेत्र, नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम तथा यमनोत्री धाम के क्षेत्र को छोड़ते हुये अन्य विकास क्षेत्रों में निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में भवनों के विभिन्न श्रेणियों हेतु सलग तालिका के अनुसार भूखण्ड / भवन के सम्मुख विकास नार्ग की अधिकृत चौड़ाई व भवनों की कैंचाई सलग तालिका अनुसार किया जाना प्राविधिकता है। (2) सभी प्रकार की परियोजनाओं में जिसमें प्रस्तावित FAR 1.8 से अधिक है, में यदि ग्रीन बिल्डिंग प्राविधिकरण होता है तो प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम 0.5 FAR देय होगा। इसके अतिरिक्त शेष FAR का योग होगा। यद्यपि क्षतिपूर्ति FAR उक्त प्रस्तावित समस्त प्रकार से अतिरिक्त देय होगा। (3) सामुहिक आवास, बहुमिजिली आवास तथा मिश्रित	संख्या 4.2 में तालिका-1, तालिका-2 के अनुसार निर्धारित।

उपविष्टि / विनियम की बिन्दु संख्या	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविष्टि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानकों से संशोधित प्राविधान	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविष्टि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानकों से संशोधित प्राविधान	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविष्टि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानकों से संशोधित प्राविधान
1	2	3	4
2.	<p>बिन्दु 5.5 (Chapter V) Ground Coverage & FAR का संशोधन</p> <p>बिन्दु 5.5 में आवासीय व व्यवसायिक मूँ-उपयोगों हेतु तालिका के रूप में पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों हेतु दर्शाये गये भू-आचारण एवं एफएओआर के मानक।</p> <ol style="list-style-type: none"> आवासीय व्यवसायिक / कर्तालीय 	<p>बिन्दु 5.5 में आवासीय व व्यवसायिक मूँ-उपयोगों हेतु तालिका के बिन्दु 5.5 में आवासीय व व्यवसायिक मूँ-उपयोगों हेतु तालिका के रूप में पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों हेतु दर्शाये गये भू-आचारण एवं एफएओआर के मानकों में संलग्न तालिका अनुसार संशोधित प्राविधान।</p>	<p>बिन्दु 5.5 में आवासीय व व्यवसायिक मूँ-उपयोगों हेतु तालिका के बिन्दु 5.5 में आवासीय व व्यवसायिक मूँ-उपयोगों हेतु तालिका के रूप में पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों हेतु दर्शाये गये भू-आचारण एवं एफएओआर के मानकों में संलग्न तालिका अनुसार संशोधित प्राविधान।</p>
3.	<p>बिन्दु 5.6 (Chapter V) Parking का संशोधन</p> <p>बिन्दु 5.6 के उप-बिन्दु (II) -पार्किंग मानक में अतिरिक्त विनियम जोड़ा जाना है।</p>	<p>बिन्दु 5.6 के उप-बिन्दु (II) -पार्किंग मानक में अतिरिक्त विनियम जोड़ा जाना है।</p>	<p>बिन्दु 5.6 में तालिका के रूप में दर्शाये गये पार्किंग के मानकों में संलग्न तालिका-3 के अनुसार निर्धारित स्थानीय वारस्तुकला के संरक्षण व विकास हेतु।</p>
4.	<p>प्रत्यर 5 (Chapter-V) में अतिरिक्त विनियम जोड़ा जाना है।</p>	<p>प्रत्यर 5 (Chapter-V) में अतिरिक्त विनियम जोड़ा जाना है।</p>	<p>प्रत्यर 5 (Chapter-V) में अतिरिक्त विनियम जोड़ा जाना है।</p> <p>6.11: स्थानीय वारस्तुकला (Local Architecture) राज्य में भवन निर्माण यथा आवासीय, व्यवसायिक, पर्यटन, मनोरंजन अथवा कार्यालय निर्माण में भवनों के Facade को राज्य की स्थानीय वारस्तुकला (Local Architecture) के अनुरूप किये जाने पर ग्रोत्वाहन के रूप में निर्माणकर्ता को अनुभव तालों से एक अतिरिक्त तल अनुभव दिया जा सकेगा। उक्त वारस्ता निर्मित भवनों पर भी लागू होगी, जो अपनी facade को बदलना चाहते हैं।</p>
			<p>6.12 राज्य के समस्त सरकारी भवनों का मानचित्र संवर्धित प्राविधिकरण से स्वीकृत कराया जायेगा। संवर्धित प्राविधिकरण में शासकीय विभाग के द्वारा मानचित्र स्वीकृत कराने के आवेदन करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की</p>

उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानकों मे संशोधित प्राविधिक

उपविधि / विनियम की विन्दु	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानक मे वर्तमान प्राविधिक	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानक मे संशोधित प्राविधिक
1 संख्या	2	3
7. प्रस्तर 2 (Chapter-II) परिषाशांत्र	Chapter II परिषाशांत्र विनियम 2.57 के पश्चात अतिरिक्त विन्दु- सम्मिलित किया जाना	<p>जायेगी। संबंधित प्राविधिकण के द्वारा यदि 15 दिन के अंतर सरकारी भवन के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है, तो उसे डीन्ड स्वीकृत मान लिया जायेगा। सरकारी भवनों के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड स्थानीय वारस्तकला का समावेश किया जायेगा।</p> <p>पुर्णस्थापित अन्य विन्दु- 2.58: ऐसे सभी क्षेत्र जो कि आवास विभाग द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से लिखित किये जायेंगे। उक्त क्षेत्रों के भवनों के 200 मीटर परिसर मे किसी भी प्रकार के बहुमंजिली भवन जिनकी कॉंचाई 12 मीटर से अधिक हो, का निर्माण अनुमत्य न किया जाय।</p> <p>पुर्णस्थापित अन्य विन्दु- 2.59: पर्यटन गतिविधियाँ: होटल मे FAR व्यवसायिक श्रेणी के अनुरूप होंगे तथा इसके अतिरिक्त चेन होटल (Chain Hotel) के यदि कोई हिजाइन संबंधित मानक हों तो वह स्वतः ही प्राप्त होगे।</p>
		<p>प्रत्येक स्थानीय विकास प्राधिकरण, अपने विकास क्षेत्र मे ऐसे क्षेत्रों का नियरिंग करेंगे जिसको “High-Rise Buildings Zone” घोषित किया जा सके तथा विकास प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदन के पश्चात मास्टर प्लॉन मे ऐसे क्षेत्र को चिह्नित किया जायेगा।</p> <p>पुर्णस्थापित अन्य विन्दु- 2.60: High-Rise Buildings Zone स्थानीय विकास प्राधिकरण मे चिह्नित ऐसे क्षेत्र जहाँ 30 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों का निर्माण किया जायेगा ताकि High-Rise Buildings को प्रोत्ताहित किया जा सके।</p>
		<p>पुर्णस्थापित अन्य विन्दु- 2.61 पहुंच सारा मे शाश्वतता-</p> <p>(1) नगर के विकासित क्षेत्रों मे ऐसे भूखण्ड जिनको भवन उपविधि मे नीदानी क्षेत्रों हेतु प्राविधिक नियां नियन्त्रित न्यूनतम मार्ग चौड़ाई के दो पृथक्-पृथक् मार्गों से पहुंच मिलती हो, मैं भूखण्ड हेतु अधिक चौड़े मार्ग की कुल चौड़ाई तथा कम चौड़े मार्ग की अधी चौड़ाई के कुल योग के अनुसार भवन की कॉंचाई व अन्य प्राविधिक भवन उपविधि के मानकों के अनुसार अनुमत्य होग।</p>

उपविधि / विनियम की बिन्दु	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानकों में संशोधित प्राविधिक संख्या	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानक में वर्तमान प्राविधिक	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानक में संशोधित प्राविधिक	
1	2	3	4	
		(2) नगर के ऐसे विकसित क्षेत्र जो मुख्य राज्य अथवा राष्ट्रीय सरकार से लगे हुये हों तथा ऐसे क्षेत्रों में मुख्य राज्य अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे हुये पैकूच मार्ग के मोहाने पर चौड़ाई न्यूनतम 9 मीटर से सम्मुख मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर हो तो, भवन की ऊँचाई निम्नानुसार निर्धारित होगी।	बिन्दु 2 हेतु उदाहरण— यदि पैकूच मार्ग के मोहाने की चौड़ाई न्यूनतम 9 मीटर हो तथा भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर हो तो, भवन की ऊँचाई निम्नानुसार सम्बन्धित भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की चौड़ाई का अन्तर अन्तर के मोहाने की चौड़ाई से जोड़ते हुये ग्राम योग के अनुसार भवन की ऊँचाई भवन उपविधि के मानकों के अनुसार अनुमत्य होगे।	बिन्दु 2 हेतु उदाहरण— यदि पैकूच मार्ग की चौड़ाई 9 मीटर हो तथा भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की चौड़ाई का अन्तर के आधा 3 मीटर / 2 = 1.5 मीटर अन्तर के आधे को मोहाने की चौड़ाई से जोड़ते हुये प्राप्त योग 1.5 मीटर + 9 मीटर = 10.50 मीटर अतः भवन ऊँचाई की 10.50 मार्ग चौड़ाई अनुसार निर्धारित होगी।
		(3) ऐसे डेड एण्ड मार्ग जिनकी न्यूनतम चौड़ाई 6 मीटर लम्बाई मुख्य वाहनीय मार्ग से अधिकतम 200 मीटर हो, पर स्थित भूखण्ड हेतु उक्त वाहनीय मार्ग को भूखण्ड का पैकूच मार्ग माना जायेगा तथा इसी आधार पर उपलब्ध भूखण्ड में भवन निर्माण मानक निर्धारित होगे।	12 मीटर – 9 मीटर = 3 मीटर मुहाने पर उपलब्ध चौड़ाई का अन्तर के आधा 3 मीटर / 2 = 1.5 मीटर अन्तर के आधे को मोहाने की चौड़ाई से जोड़ते हुये प्राप्त योग 1.5 मीटर + 9 मीटर = 10.50 मीटर अतः भवन ऊँचाई की 10.50 मार्ग चौड़ाई अनुसार निर्धारित होगी।	
			पुनर्स्थापित अन्य बिन्दु-	
		2.62 मोटल-	मोटल, को “motorist hotel” की संज्ञा दी जाती है जो मुख्यतः यात्रियों को मुख्य मार्ग के समीप किए गयती दरों ने बोजन, आवास तथा वाहनों को पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्भर किये जाते हैं। इनमें समाचारतः एक तल तथा अधिकतम दो तलों निर्माण अनुमत्य होता है तथा अधिकांश स्थान वाहन पार्किंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है।	
		2.63 लिफ्ट के लिये पुनर्स्थापित अन्य बिन्दु-	अग सेट बैक व अच्यूतन तीन स्टेप्स के सर्कलेशन क्षेत्र को छोड़ते हुये शेष क्षेत्र में, लिफ्ट का निर्माण अनुमत्य होगा, जिसकी गणना FAR से नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐदियम की गणना FAR तथा भू-आचादन में नहीं की जायेगी परन्तु पार्किंग हेतु इसकी गणना की जायेगी।	
		2.64 पार्किंग के लिये पुनर्स्थापित अन्य बिन्दु-	यदि भवन में आवश्यक वाहिन पार्किंग की पूर्ति, मैकेनाइज्ड पार्किंग के प्राविधिक किये जाने से पूर्ण की जा सकती है तो, इस स्थिति में भूखण्ड में अतिरिक्त पार्किंग क्षेत्र उपलब्ध कराये जाने की	

उपविधि / विनियम की बिन्दु संख्या	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानकों में संशोधित प्राविधान
1	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानक में वर्तमान प्राविधान
2	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानक में संशोधित प्राविधान
3	आवश्यकता नहीं होगी।
4	

CATEGORY	Plot size (4.2)		Road width (4.1)		FAR (5.5)		Ground Coverage (5.5)		Max Height (Meter) of the building (5.1)
	Minimum Plot Size sqm as per Building Bylaws	Amended minimum plot size sqm	Minimum Road width as per Building Bylaws (meter)	Amended minimum road width (meter)	FAR as per Building Bylaws	Amended FAR	Ground Coverage as per Building Bylaws	Amended Ground coverage	
RESIDENTIAL									
Residential - Group Housing	1000	1000	7.5	6	1.4	1.4	40%	40%	12
Affordable Housing	4000	2000	6	6	2	2	50%	50%	12
EWS & Rehabilitation housing schemes (Flatted Unit Size-25-35 sqm)	NP***	1000	6	6	2	2	50%	50%	12
COMMERCIAL									
Commercial/office spaces	NP	<25-100	NP	2 (Pedestrian path)	NP	1.3	NP	70%	6
Single commercial unit/single commercial office (minimum area 25 sqm)	>100-200	>100-200	4.5	4.5	1.3	1.3	70%	70%	6
	>200-2000	>200-2000	6	6	1.9	1.9	50%	50%	12
	≥2000	≥2000	7.5	7.5	1.9	1.9	50%	50%	12
	>2500	>2500	7.5	7.5	2.1	2.1	45%	45%	Less than 15
*Mall with single screen	NP	750	NP	6	NP	1.6	NP	40%	Less than 15
Mall with multiplex	1500	1000	9	7.5	2.2	2.2	40%	40%	Less than 15
Serviced apartments	750	500	7.5	6	1.7	1.7	60%	60%	12
Wedding points	1000	500	7.5	6	0.8	0.8	35%	35%	6
*Hotels	750	---	7.5	-	1.8	-	45%	-	4
**5 stars deluxe rating hotels	NP	1500	NP	7.5	NP	2	NP	45%	Less than 15
5 stars rating hotels	NP	1000	NP	6	NP	1.8	NP	45%	12
4 stars rating hotels	NP	1000	NP	6	NP	1.8	NP	50%	12
Other hotels	NP	400	NP	6	NP	1.8	NP	50%	9
Motel	2500	1000	9	7.5	0.6	0.6	30%	30%	
Resorts	2500	2500	9	7.5	0.9	0.9	30%	30%	9

CATEGORY	Plot size (4.2)		Road width (4.1)		FAR (5.5)		Ground Coverage (5.5)		Max Height (Meter) of the building (5.1)
	Minimum Plot Size sqm as per Building Bylaws	Amended minimum plot size sqm	Minimum Road width as per Building Bylaws (meter)	Amended minimum road width (meter)	FAR as per Building Bylaws	Amended FAR	Ground Coverage as per Building Bylaws	Amended Ground coverage	
Eco resorts	750	750	7.5	4.5	0.25	0.25	20%	30%	3
Guest house	500	250	6	4.5	1.35	1.35	45%	45%	5
Hostel ***	500	-	6	-	1.35	-	45%	-	9
* Hostel upto 50 Beds	500	500	6	6	1.35	1.35	45%	45%	9
* Hostel upto 50-100 Beds	NM	750	NP	6	NP	1.8	NP	45%	12

* New category added

* Star rating as per guidelines of

Ministry of Tourism, Govt

*** No Provisions in the current Building Bylaws

**** Hostel and Guest Houses are in a same category in current Building Bylaws

CATEGORY	Plot size (4.2)		Road width (4.1)		FAR (5.5)		Ground Coverage (5.5)		Max Height (Meter) of the building (5.1)
	Minimum Plot Size sqm as per Building Bylaws	Amended minimum plot size sqm	Minimum Road width as per Building Bylaws	Amended minimum road width	FAR as per Building Bylaws	Amended FAR	Ground Coverage as per Building Bylaws	Amended Ground coverage	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RESIDENTIAL									
Residential - Multiple Units	500	500	9	9	1.8	1.8	50%	50%	9
		2000	9	9	1.8	1.8	35%	35%	12
Residential - Group Housing	2000	NP	10	NP	1.8	NP	35%	35%	16
	2000	NP	11	NP	1.8	NP	35%	35%	20
	2000	NP	12	NP	1.8	NP	35%	35%	24
Affordable Housing	4000	NP	10	NP	2.1	NP	50%	50%	12
	4000	NP	11	NP	2.1	NP	50%	50%	16
	4000	NP	12	NP	2.1	NP	50%	50%	20
EWVS & Rehabilitation housing schemes (Flatted Unit Size- 25-35 sqm)	NP	2000	NP	10	NP	2	50%	50%	12
		NP	11	NP	2	NP	50%	50%	16
		NP	12	NP	2	NP	50%	50%	20
									24
COMMERCIAL									
Commercial/office spaces	NP	<50-100	NP	9	NP	1.5	NP	65%	6
Single commercial unit/single commercial office	>100-200	>100-200	9	9	1.5	1.5	65%	65%	6
	>200 -2000	>200 -2000	12	12	2.0	2.0	45%	45%	9
	≥2000	≥2000	18	15	2.0	2.0	45%	45%	12
	>2500	>2500	18	18	2.2	2.2	40%	40%	16
Mall with multiplex	2500	1500	18	18	2.5	2.5	40%	40%	20
Serviced apartments	1000	750	15	15	1.8	1.8	55%	55%	16
Wedding points	2000	1500	18	18	1.0	1.0	33.3%	33.3%	9
*Hotels	1000	-	15	-	2.0	-	40%	-	15

कृपा

CATEGORY	Plot size (4.2)		Road width (4.1)		FAR (5.5)		Ground Coverage (5.5)		Max Height (Meter) of the building (5.1)
	Minimum Plot Size sqm as per Building Bylaws	Amended minimum plot size sqm	Minimum Road width as per Building Bylaws	Amended minimum road width	FAR as per Building Bylaws	Amended FAR	Ground Coverage as per Building Bylaws	Amended Ground coverage	
**5 Stars deluxe rating hotels	NP	2000	NP	15	NP	3.0	NP	45%	20
5 stars rating hotels	NP	1500	NP	15	NP	2.4	NP	45%	16
4 stars rating hotels	NP	1000	NP	15	NP	2.4	NP	45%	16
Other hotels	NP	650	NP	12	NP	2.0	NP	45%	12
Motel	4000	4000	18	18	0.5	0.5	25%	25%	1
Resorts	4000	4000	18	18	0.75	0.75	25%	25%	9
Eco resorts	10000	4000	18	18	0.25	0.25	20%	20%	6
Guest House	750	500	15	15	1.60	1.60	40%	40%	7
Hostel ****	750	-	15	-	1.60	-	40%	-	12
* Hostel upto 50 Beds	750	750	15	15	1.60	1.60	40%	40%	12
* Hostel upto 50-100 Beds	NP	1000	NP	15	NP	2.00	NP	40%	16

* New category added

** Star rating as per guidelines of
Ministry of Tourism, GoI

*** No Provision in the current
Building Bylaws

**** Hostel and Guest Houses are in a
same category in Current Building
Bylaws

Equivalent Car Parking Space (ECS) (5.6)

CATEGORY	ECS as per BBL	Amended ECS
1	2	3
RESIDENTIAL		
Single Residential Plot		
100-200 sqm	1 ECS	1 Parking space of 13.75 sqm
201-300 sqm	2 ECS	2 Parking space of 13.75 sqm each
	ECS /100 sqm	ECS /100 sqm
More than 300 sqm	1.00	1.00
Residential - Multiple Units	1.00	1.00
Residential - Group Housing		
50-75 sqm plinth area	1.00	1.00
75-150 sqm plinth area	1.25	1.00
150 sqm plinth area	1.50	1.25
COMMERCIAL		
upto 50 sqm	-	
upto 250 sqm	1.00	1.00
upto 500 sqm	1.50	1.50
upto 1500 sqm	2.50	2.00
More than 1500 sqm	2.50	2.50
Whole sale Market, Freight Market	3.50	3.00
Mall/multiplex/mix land use/ cinema hall		
upto 1500 sqm	3.50	3.00
More than 1500 sqm	3.50	3.50
Hotels	2.50	Upto 4 star hotels and other hotels -1 ECS for 2 guest rooms, More than 4 star hotels-1 ECS for 1 guest room, In both the cases additional parking for other commercial activities such as conference/banquet /exhibition hall/food court etc. @ 2.00 ECS per 100 sqmt of built-up area
Lodging/ Tourist house/Dharmshala/Musafeer Khanna/Guest house/Resort/Stand alone private Hostel	1.50	1.00
Hostel within the Academic Institution	-	0.75
Community Hall/Conference hall	2.00	2.00
Ashram/ Cultural or Social Institution	1.50	1.50
Nursing Home/PHC/Hospital	2.00	2.00
Barat Ghar (योजना के कुल क्षेत्र का 30 प्रतिशत अथवा प्रति 100 वर्ग मी० अच्छादित क्षेत्र या अंश पर ECS कि आधार पर पार्किंग स्थल मे से जो भी अधिक हो)	-	

CATEGORY	ECS as per BBL	Amended ECS
1	2	3
Office/Court/Other Court	2.50	2.00
Primary/Secondary/High school/Intermediate	1.25	1.25
Colleges/technical institutes/ University	1.50	1.50
IT campus or related units	2.00	2.00
Industry (Home/Service/Small Industry) others	0.6	0.60
Industry others	2.75	2.00
Godam, cold storage	1.00	1.00
Stadium	20 seats 1 ECS	20 seats 1 ECS
Amusement park/entertainment place/exhibition area	30 % of total proposed area	30 % of total proposed area
Other community hall	1.5	1.50

